फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर (ग्रामीण)

छोटू बनाम प्रभात

प्रकरण संख्या : 99 /2024 (राजस्व अपील)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
16.01.2024	राजस्व (ग्रुप–1) विभाग राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 05, अगस्त, 2023 के अनुसार दिनांक 07.08.2023 से नव जिले जयपुर (ग्रामीण) का सृजन किये जाने से पत्रावली न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर से स्थानान्तरण होकर प्राप्त हुई। विधानसभा आम चुनाव में व्यस्त होने से दिनांक 07.11.2023 से जनरल पेशी दी जाने से पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उपस्थित। पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो। बहस हेतु समय चाहा है। अतः पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 27.02.2024 को पेश हो। (हस्ताक्षर) जिला कलक्टर जयपुर (ग्रामीण)	
5-2-2024	अपीलार्थीगण द्वारा पत्रावली तलबी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थीगण मय अधिवक्ता उपस्थित है। अपीलार्थीगण ने पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो जाने का कथन कर अपील को विड्रो किये जाने का अनुरोध किया है। अपीलार्थीगण की पहचान वकील श्री महावीर शेरावत ने की है। अतः अपीलार्थीगण को अपील विड्रो किये जाने की अनुमति दी जाती है। अपील को विड्रो किये जाने से इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम हो। (हस्ताक्षर) जिला कलक्टर जयपुर (ग्रामीण)	नि. छोटू नि. नाथीदेवी नि. गुलाब ललिता शर्मा गुड्डी शर्मा मदनलाल शर्मा श्यामलाल शर्मा कौशल्या शर्मा Identified (हस्ताक्षर)